बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

अ०सं०– वि० प्रा० (II) नियुक्ति– 04/2023/ 2775 /पटना, दिनांक – 05/7/24

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या 13/2020 के आलोक में आयोग के पत्रांक–02 दिनांक 17.04.2023 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में निम्नांकित उम्मीदवार को वेतनमान लेवल–13ए1 (प्रवेश वेतन–1,31,400/–रू0 तथा 4500/– रू0 प्रति माह का विशेष भत्ता) एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य भत्तों के साथ बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा के अधीन **प्राचार्य** के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–09 में अंकित संस्थान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :–

क्र०	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता	जन्म तिथि	आरक्षण कोटि	अनुशंसित कोटि	संयुक्त मेधा क्रमांक	गृह जिला	फोटो	पदस्थापित पोलिटेकनिक संस्थान एवं पद का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ABHAY KUMAR SHARMA, अभय कुमार शर्मा (रौल नं० 202013000155), पिता– स्व0 रामेश्वर शर्मा, पता– ग्राम+पो0– गौरीपुर, थाना– बिहपुर, जिला– भागलपुर, बिहार–853201, मो0– 8827210677	25.06.1970	UR	UR	2	भागलपुर		प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, अरवल

2. इनकी यह नियुक्ति सम्पुष्ट होने तक अस्थायी होगी।
3. इन्हें मासिक वेतनादि एवं अन्य वित्तीय लाभ प्राचार्य के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।
4. नवनियुक्त प्राचार्य, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर नव पदस्थापित संस्थान में निश्चित रूप से प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं करने अथवा साक्ष्य के साथ निर्धारित तिथि तक योगदान अवधि के विस्तार हेतु आवेदन नहीं देने पर उनकी नियुक्ति रद्द करने के संबंध में नियमानुसार निर्णय ले लिया जाएगा।
5. इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त मेधा क्रमानुसार होगी।
6. उम्मीदवार द्वारा समर्पित शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण–पत्रों में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तथा पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब नियुक्त होने वाले उम्मीदवार की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधि–सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
7. नवनियुक्त प्राचार्य, जो वर्त्तमान में किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें योगदान के समय संबंधित विभाग/संस्थान का विरमित आदेश/त्यागपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। इनका प्रभार संबंधित विभाग/संस्थान का प्रतिवेदन विरमित आदेश/त्यागपत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही नियंत्री पदाधिकारी, इनके प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।

8. अभ्यर्थी, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग निर्गत संकल्प संख्या–1919 दिनांक–18.01.1976 के अनुपालन में दहेज नहीं लेने–देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

9. बिहार सेवा संहिता के नियम–52 के अन्तर्गत अभ्यर्थी जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी–सह–असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त अपनी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र नियंत्री पदाधिकारी को योगदान के समय निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।

10. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 दिनांक–03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

11. उम्मीदवार को योगदान हेतु पदस्थापित संस्थान पर आने–जाने के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

05.07.24

(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – वि० प्रा० (II) नियुक्ति–04/2023/ 2775 **/पटना, दिनांक–** 05/7/24

प्रतिलिपि – प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (सी0डी0 के साथ) प्रेषित।

05.07.24

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – वि० प्रा० (II) नियुक्ति–04/2023/ 2775 **/पटना, दिनांक–** 05/7/24

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग,बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.07.24

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – वि० प्रा० (II) नियुक्ति–04/2023/ 2775 **/पटना, दिनांक–** 05/7/24

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्राचार्य, सभी राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.07.24

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – वि० प्रा० (II) नियुक्ति–04 / 2023 /   / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – श्री / सुश्री / श्रीमती– ...., पिता / पति का नाम– .... ग्राम / मो0– .... जिला– .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

फोटो

05.07.24

सरकार के संयुक्त सचिव

प्रशाखा–3 / 05.07.24